Minutes of Academic Council

S. No.	Particular
1.	for Adopting CBCS
2.	Starting of M.A. in Hindi Programme
3.	Starting of B.A.-B.Ed and B.Sc.-B.Ed Programme
4.	Starting of B.Sc.

The Specific Matter regarding above are highlighted.

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 21 फरवरी, 2015 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 21 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.30 बजे माननीया कुलपति समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1.	समणी चारित्रप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
2	प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा	सदस्य
3.	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. जे.पी.एन.मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	सदस्य
5.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
6.	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
5.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
6.	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
7.	प्रो. बच्छराज दूगड़	सदस्य
9.	डॉ. समणी सत्य प्रज्ञा	सदस्या
10.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
11.	डॉ. मनीष भटनागर	सदस्य
12.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	सदस्य
13.	डॉ. शशिबाला सिंह	सदस्य
14.	प्रो. ओ.पी.पाण्ड़ेय	सदस्य
16.	प्रो. अशोक बापना	सदस्य
17.	प्रो. राजुल भार्गव	सदस्या
18.	प्रो. एस.पी.दुबे	सदस्य
19.	प्रो. एस. सी. राजोरा	सदस्य
20.	प्रो. एन. कृष्णास्वामी	विशेष आमंत्रित
21.	प्रो. अनिल धर	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक समस्त महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(01) **गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
(Approval of minutes of the 28th Meeting held on January 25, 2014)
सदन द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2014 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

(02) **चोइस बेसड़ क्रेडिट सिस्टम लागू करने की अनुमति।**
(Approval for adoption of Choice Based Credit System)
कुलसचिव ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की माननीया कुलपति महोदया ने प्रो. आर.बी. एस. वर्मा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्थान के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु Choice Based Credit System का प्रारूप बनाकर देने का दायित्व दिया था। इस प्रारूप को अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस विषय पर विचार–विमर्श के पश्चात् विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

(03) निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालयों में अध्ययन मंड़ल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –
(Discussion and approval recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments) –

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

विभागाध्यक्षा प्रो. समणी चैतन्यप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्ड़ल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है तथा आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू की जाएगी। विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) संस्कृत एवं प्राकृत विभाग (Dept. of Sanskrit and Prakrit)

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. दामोदर शास्त्री ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए. संस्कृत एवं प्राकृत के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रो. बच्छराज दूगड़ का विचार था कि एम. ए. संस्कृत प्रथम सत्र के तृतीय पत्र का नाम ''संस्कृत काव्य साहित्य'' के स्थान पर ''जैन संस्कृति एवं साहित्य'' किया जाये। इस सन्दर्भ में यह विचार आया कि विभागाध्यक्ष प्रो. एस.पी.दुबे से इस सन्दर्भ में विचार–विमर्श कर आवश्यक संशोधन कर लेवे, इस सम्बन्ध में विद्या परिषद ने अंतिम निर्णय लेने हेतु माननीया कुलपति महोदया को अधिकृत किया।

इसके अतिरिक्त प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अध्ययन मण्ड़ल की बैठक एम.ए. हिन्दी का पाठ्यक्रम पारित करवा लिया गया है, इस सम्बन्ध में विचार आया कि पाठ्यक्रम में हिन्दी उपन्यास एवं हिन्दी कहानी का पाठ्यक्रम अलग–अलग करना चाहिए। विद्या परिषद द्वारा पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन के साथ इसे स्वीकृत किया गया कि इसे प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाए। आगामी सत्र से एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी से C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की भी जानकारी सदन को दी गई।

प्रो. दामोदर शास्त्री, विभागाध्यक्ष ने विभाग के नामकरण में परिवर्तन करने का सुझाव सदन के समक्ष रखा। सदन ने इस विषय पर काफी विचार–विमर्श के पश्चात् विभाग का नाम **''प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग''** रखने की स्वीकृति प्रदान की।

(iii) जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग (Dept. of Science of Living Preksha Meditation and Yoga)

इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा ने एम.ए./एम.एस.सी. जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान एवं योगा के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने विभाग का नामकरण परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव सदन सदन के समक्ष रखा, जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। आगामी सत्र से विभाग का नाम **''योग एवं जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान विभाग'' "Department of Yoga and Science of Living"** होगा।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल धर ने M.A. in Non-violence and Peace एवं M.A. in Political Science, B.A. (NVP स्नातक स्तर पर) M.Phil (NVP) के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा संशोधित पारित पाठ्यक्रम को विद्या परिषद के समक्ष रखा एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी, जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभागाध्यक्ष प्रो. आर.बी.एस. वर्मा ने समाज कार्य विभाग के अध्ययन मण्ड़ल द्वारा स्वीकृत समाज कार्य विभाग के वर्तमान पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन एवं आगामी सत्र से विभाग में C.B.C.S. प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

(vi) शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन ने सदन को बताया कि आगामी सत्र से बी.एड़ एवं एम. एड़ का पाठ्यक्रम दो वर्ष का हो गया है। उपरोक्त पाठ्यक्रम NCTE के Frame Works के अनुसार किये जाने के बारे में जानकारी दी। इस सन्दर्भ में यह निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा अध्ययन मण्ड़ल की बैठक में पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाए तथा इसे लागू करने के लिए विद्या परिषद ने माननीया कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्षा प्रो. रेखा तिवारी ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी के साथ आगामी सत्र से C.B.C.S प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी। सदन में क्रेड़िट सिस्टम समान नहीं होने के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया गया । काफी विचार–विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि समस्त पेपरों में क्रेड़िट सिस्टम में समानता होनी चाहिए।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा जी ने आगामी सत्र से अध्ययन मण्डल द्वारा पारित बी.ए./बी.काम. के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की जानकारी के साथ स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में से C.B.C.S प्रणाली लागू करने की जानकारी सदन को दी।

इसके अतिरिक्त आगामी सत्र से बैंकिग का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। उपरोक्त दोनो प्रस्ताव विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किए गये।

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित एम.ए. राजनीति विज्ञान का पारित पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा से प्रारम्भ करने की जानकारी सदन को दी। इस सम्बन्ध में यह विचार आया कि "जैन संस्कृति एवं जीवन मूल्य" के स्थान पर "जैन राजनेतिक विचार एवं जीवन मूल्य" अधिक उपयुक्त होगा। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- प्रो. त्रिपाठी ने वर्तमान में संचालित बी.पी.पी. पाठ्यक्रम को इसी सत्र से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम (पांच पत्रों – सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान) के अनुसार परिवर्तन कर लागू करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। उन्होंने यह भी बताया कि इससे संस्थान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से अनुमति लेकर बी.पी.पी. को 10+2 के समकक्ष करने की अनुमति ले सकता हैं। विद्या परिषद द्वारा आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

- बी.पी.पी. कोर्स करने के पश्चात् संस्थान से बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

- सदन में सर्वसम्मिति से यह भी निर्णय लिया गया कि बी.पी.पी. के कोर्स को संस्थान में सिद्धान्तः 10+2 के समकक्ष माना जा सकता है। इस हेतु विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

- प्रो. त्रिपाठी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्तमान में संचालित समस्त उपाधि पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दो सत्रीय कार्य के स्थान पर एक सत्रीय कार्य किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जिसे विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) **सी.आई.ए. प्रणाली में सुधार हेतु अनुमति।**
(Approval for modification in C.IA. System)

माननीया कुलपति महोदया की दिनांक 07 जनवरी, 2015 को आयोजित समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक में संस्थान में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में C.I.A. System में परिवर्तन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की जानकारी दी जिसके अनुसार समस्त पाठ्यक्रमों में अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से रहेगा :

अ.	प्रार्थना, ध्यान, एवं कक्षाओं में उपस्थिति	10 अंक
ब.	मिड़– टर्म टैस्ट	10 अंक
स.	विभागीय सेमीनार प्रस्तुति	05 अंक
द.	असाईन्मेंट	05 अंक
	कुल	**30 अंक**

विद्या परिषद द्वारा इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान की गई।

(05) माननीया कुलपति महोदया ने विद्या परिषद के समक्ष प्रो. फूलचंद जैन, वाराणसी को जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग में एवं प्रो. अशोक बापना, जयपुर को अहिंसा एवं शांति विभाग में ऐमरिट्स प्रोफेसर के मनोनयन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो. अनिल धर)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

जैन विश्वभारती संस्थान लाडनूँ – 341 306(राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत घोषित मान्य विश्वविद्यालय)

दिनांक 09 मार्च, 2013 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

जैन विश्वभारती संस्थान की विद्या परिषद की बैठक का आयोजन दिनांक 09 मार्च, 2013 को माननीया कुलपति महोदया समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसमें निम्नलिखित महानुभावों ने भाग लिया :

1.	समणी चारित्रप्रज्ञा	कुलपति एवं अध्यक्षा
2.	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
3.	डॉ. ऋजु प्रज्ञा	सदस्या
4.	प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा	सदस्य
5.	प्रो विद्या राव	सदस्या
6.	डॉ बी एल जैन	सदस्य
7.	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
8.	डॉ. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
9.	समणी डॉ. मल्ली प्रज्ञा	सदस्या
10.	समणी डॉ संगीत प्रज्ञा	सदस्या
11.	डॉ रविन्द्र सिंह राठौड़	सदस्य
12.	श्री युवराज सिंह खंगारोत	सदस्य
13.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
14.	डॉ सरोज राय	सदस्या
15.	श्री संजय गोयल	सदस्य
16.	प्रो. आर. आर. सिंह	सदस्य
17.	प्रो. एन. एल कल्ला	सदस्य
18.	प्रो. राजेन्द्र मिश्रा	सदस्य
19.	प्रो. मथुरेश्वर पारीक	सदस्य
20.	प्रो. धरमचन्द जैन	सदस्य
21.	प्रो. सागरमल जैन	विशेष आमंत्रित
22.	प्रो. कृष्णास्वामी	विशेष आमंत्रित
23.	डॉ गौरव बिस्सा	विशेष आमंत्रित
24.	प्रो. जे.एस. शेखावत	विशेष आमंत्रित
25.	सुश्री वीणा जैन	विशेष आमंत्रित
26.	परमेश्वर शर्मा	कुलसचिव – गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया। इसके पश्चात् कुलसचिव महोदय ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की :

1. **गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि :**

   विद्या परिषद द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2012 की बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई। इस सन्दर्भ में प्रो. सागरमल जैन का सुझाव था कि गत बैठक में प्राकृत भाषा का पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार किया गया था, परन्तु इसको कार्यवृत्त में सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

   उनका यह भी विचार था जैन विश्वभारती संस्थान को गैर पारम्परिक विषयों में अपने उद्देश्यों के अनुरूप अध्ययन एवं शोध कार्य करना चाहिए। जैन विद्या, प्राकृत, के क्षेत्र में शोध कार्य करने की अनेक संभावनाए भी है, इस कार्य हेतु जैन शोध संस्थानों को अन्य विश्वविद्यालयों की भांति जैन विश्वभारती संस्थान को भी उन्हें मान्यता देने पर विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीया कुलपति महोदया ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शोध नियमावली 2009 के अनुसार अन्य शोध संस्थानों के Faculty को रिसर्च Guide नहीं बनाया जा सकता। संवैधानिक तौर पर अन्य शोध संस्थानों को Affiliate भी नहीं कर सकते। उनके साथ MOU किया जा सकता है ताकि शैक्षणिक गतिविधियों का विकास हो। उन्होंने भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की टॉस्क फोर्स कमेटी के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि हमें इन विषयों में ही शोध कार्यो पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा और संस्थान द्वारा जो भी शोध कार्य हों वे गुणवत्ता पूर्ण एवं प्रायोगिक हो।

2. **विगत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना :**

   विद्या परिषद द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना सम्बन्धी प्रगति विवरण को सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

3. **निम्नलिखित विभागों/महाविद्यालयों के अध्ययन मण्ड़लों द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदना :**

   1. **जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग :**

      विभागाध्यक्ष प्रो. दामोदर शास्त्री ने सदन के समक्ष विभाग के पाठ्यक्रमों में कोई परिवर्तन नहीं करने की सूचना दी एवं अध्ययन मण्डल में आगामी तीन वर्षो के लिए किन्हीं दो बाह्य विशेषज्ञों के नाम सुझायें जो निम्नांकित हैः

      1. प्रो. धर्मचन्द जैन, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, जयनारायण व्यास संस्थान, जोधपुर
      2. डॉ. धर्मेन्द्र जैन, विकास अधिकारी (प्राकृत) राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (जयपुर परिसर) जयपुर

      इसके अतिरिक्त अध्ययन मण्ड़ल में दर्शन विषय से सम्बन्धित किन्हीं दो बाह्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित करने का सुझाव भी आया, जो निम्नांकित हैः

      1. प्रो. अम्बिकादत्त शर्मा, दर्शन विभाग, सागर संस्थान, सागर (म.प्र.)
      2. प्रो. जटाशंकर तिवारी, दर्शन विभाग, इलाहाबाद संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.)

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त नामों को अध्ययन मण्ड़ल में सम्मिलित करने की स्वीकृति सर्व–सम्मति से प्रदान की गई।

2. **संस्कृत एव प्राकृत विभाग :**

विभागाध्यक्षा डॉ. समणी ऋजुप्रज्ञा ने सदन को बताया कि विभाग द्वारा संस्कृत के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्ड़ल की दिनांक 09.03.2013 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार एम.ए. संस्कृत सेमेस्टर (द्वितीय) के पाठ्यक्रम के पेपर पांच एवं सात में आंशिक परिवर्तन किया गया है, जिसे सर्व–सम्मति से विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्षा ने विभाग द्वारा आगामी सत्र से विभाग के अन्तर्गत एम.ए. हिन्दी विषय के पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के सन्दर्भ में दिनांक 09.03.2013 को आयोजित अध्ययन मण्ड़ल की बैठक में पारित पाठ्यक्रम को सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा।

इस सन्दर्भ में प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा का विचार था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस विषय को प्रारम्भ करने की अनुमति ली जाय। इस सन्दर्भ में प्रो. राजेन्द्र मिश्रा, प्रो. नन्दलाल कल्ला का सुझाव था कि भारत के अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अलग से हिन्दी विभाग नहीं हैं और विश्वविद्यालय किसी भी विभाग के अन्तर्गत यह विषय संचालित कर सकता है, उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर आदि का उदाहरण भी दिया। इसी क्रम में डॉ. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी का विचार था कि विद्या परिषद की गत बैठक में अहिंसा एवं शांति विभाग के अन्तर्गत एम.ए. राजनीति विज्ञान, जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के अन्तर्गत एम.ए.दर्शन, जीवन विज्ञान प्रेक्षाध्यान विभाग के अन्तर्गत एम.ए. Clinical Psychology आदि पाठ्यक्रमों को संचालित करने का निर्णय लिया गया था तथा उपरोक्त पाठ्यक्रम पिछले सत्र से प्रारम्भ भी कर दिये गये है। अतः इसी प्रकार संस्कृत एवं प्राकृत विभाग से एम.ए. हिन्दी का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा सकता है।

काफी विचार–विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का अनुसरण कर लिया जाए। विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. **अहिंसा एवं शांति विभाग :**

विभागाध्यक्ष प्रो. बच्छराज दूगड़ अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके विभाग के सदस्य डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़ ने सदन को बताया कि उनके विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों में कोई परिवर्तन इस बार नहीं किया गया है।

4. **जीवन विज्ञान, प्रेक्षाध्यान एवं योग विभाग :**

विभागाध्यक्ष प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा ने त्रैमासिक योग प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की प्रस्तावना रखी जिसमें एक सैद्धान्तिक एवं दो प्रायोगिक प्रश्न पत्र होंगे। प्रायोगिक प्रत्र में आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया और ध्यान के विभिन्न प्रयोगों का अभ्यास कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में विद्या परिषद ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी परन्तु ये सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाकर इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायें।

5. **समाज कार्य विभाग :**

विभागाध्यक्ष प्रो. विद्या राव ने सदन को जानकारी दी कि विभाग के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रो. आर.आर. सिंह का सुझाव था कि गत बैठक में जो चार नये डिप्लोमा कोर्स को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, उन्हें वर्तमान स्थिति को मध्य–नजर रखते हुए सुचारू रूप से संचालित करने में कठिनाई है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए।

6. **शिक्षा विभाग :**

विभागाध्यक्ष डॉ. बी.एल. जैन ने सदन को बताया कि बी.एड के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्ड़ल की बैठक में लिए गए निर्णायानुसार पाठ्यक्रम में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रो. आर. आर. सिंह का सुझाव था कि Special Education को भी पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए। विभागाध्यक्ष डॉ. बी.एल. जैन ने कहा कि ये पाठ्यक्रम से जुड़ा है। जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

7. **अंग्रेजी विभाग :**

विभागाध्यक्षा डॉ. रेखा तिवाड़ी ने सदन के समक्ष एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्ड़ल द्वारा आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आंशिक परिवर्तन की जानकारी दी। काफी विचार विमर्श के बाद निर्णय किया गया कि साहित्य और भाषा का संविभाग कोर्स में होना चाहिए।

8. **दूरस्थ शिक्षा निदेशालय :**

निदेशक डा. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अर्न्तगत Preksha Life Skill Progrmme Certificate Course आगामी सत्र से संचालित करने के लिए अध्ययन मण्ड़ल द्वारा पारित प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। जिसे सदन द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

इसके अतिरिक्त बी.पी.पी. पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का हमारे संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश की पात्रता नहीं होने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हुआ। विद्या परिषद ने यह निर्णय लिया कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए, कमेटी के गठन हेतु माननीया कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। यह कमेटी विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियमों का अवलोकन करेंगी तथा इस सन्दर्भ में अपने सुझाव कुलपति महोदया को प्रस्तुत करेंगी।

9. **आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय :**

प्राचार्या डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा जी ने सदन को महाविद्यालय के अर्न्तगत विभिन्न अध्ययन मण्ड़लों द्वारा लिए गये निर्णयों की जानकारी सदन को दी तथा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र 2013–14 से संचालित करने का प्रस्ताव रखा :

1. भूगोल विषय,
2. बी. सी. ए.,
3. एक वर्षीय डिप्लोमा राजभाषा,
4. बी. कॉम. (सेमेस्टेर V & VI) में Revised पाठ्यक्रम

5. B. Lib. को नियमित पाठ्यक्रम के रुप में एवं जैन संस्कृति एवं इतिहास : एक परिचय पत्र लागू करने की स्वीकृति।

6. स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित अनिवार्य फाउन्डेशन कोर्स –

- Semester I — General English
- Semester II — Jain Culture
- Semester III — General Hindi
- Semester IV — Environment
- Semester V — Foundation Course in IT / अहिंसा और शांति
- Semester VI — Preksha Life Skill

उपरोक्त पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

10. परीक्षा विभाग :

1. परीक्षा नियमावली के सन्दर्भ में परीक्षा नियंत्रक सुश्री वीणा जैन ने सदन को बताया कि संस्थान में स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली समाजकार्य विभाग में सत्र 2008–2009 से तथा अन्य स्नातकोत्तर विभागों में सत्र 2009–2011 से तथा स्नातक स्तर पर सत्र 2011–12 से लागू कर दिया गया है। दिसम्बर 2011 तक लागू स्नातकोत्तर स्तर के सभी सेमेस्टरस् का परीक्षा परिणाम पूर्व में अपनाई जाने वाली परीक्षा नियमावली के तहत घोषित किया जाता रहा है, परन्तु स्नातक स्तर पर भी सेमेस्टर लागू किए जाने के बाद आवश्यकता महसूस की गई कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर, दोनों स्तरों पर सेमेस्टर प्रणाली के लिए पृथक रूप से विस्तृत परीक्षा नियमावली बना ली जाए। इसके लिए एक कमेटी का गठन कुलपति महोदया द्वारा किया गया था। इस कमेटी ने अन्य विश्वविद्यालयों का सन्दर्भ लेते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर लागू किये जाने हेतु परीक्षा नियमावली का एक प्रारूप परीक्षा विभाग में विद्या परिषद की संस्तुति हेतु भेजा गया। इस आशय के साथ कि स्नातकोत्तर स्तर पर चलने वाली नियमावली के सन्दर्भ में इसे पूर्ण रूप से और देख लिया जाए और इसे विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

   इन प्रारूपों के आधार पर अधिकृत स्वीकृति के पश्चात् स्नातक एवं स्नातकोतर दोनों स्तरों पर 2012 का परीक्षा परीणाम घोषित किया गया।

   इस सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अनुसार एक उपनियम की और ध्यान आकर्षित करते हुए सदन को बताया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी को CIA (Continuous Internal Assessment) में तथा सेमेस्टर के अन्त में होने वाली लिखित परीक्षा में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि कोई विद्यार्थी CIA में अनुत्तीर्ण होता है और सेमेस्टर लिखित परीक्षा में उर्त्तीण होता है तो उसे सम्बन्धित पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। इस नियम के तहत माह अप्रेल, 2012 एवं दिसम्बर 2012 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। माह दिसम्बर 2012 की परीक्षा के तहत कुछ विद्यार्थियों ने सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली परन्तु CIA में उत्तीर्णांक प्राप्त न करने की वजह से परीक्षा परिणाम उस पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया।

इस सन्दर्भ में परीक्षा नियंत्रक ने सदन के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि CIA में अनुत्तीर्ण परन्तु अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत विद्यार्थी गत CIA की पूर्ति कैसे करेंगें? क्या CIA में पृथक रूप से उत्तीर्ण होने के स्थान पर CIA और सेमेस्टर लिखित परीक्षा दोनों के अंक मिलाकर उत्तीर्ण माना जाए या उसकी पूर्ति CIA के निर्धारित Assignment, Tutorial, Mid-Term Test, आदि Components के आधार पर करवाई जाए और इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो।

सदन के कुछ सदस्यों ने अवगत कराया कि CIA परीक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है। पृथक रूप से उर्त्तीण होना ही चाहिए। स्नातक एवं स्नातकोतर दोनों स्तरों पर अन्य विश्वविद्यालयों में संचालित नियमों के आलोक में अपने सेमेस्टर प्रणाली के तहत परीक्षा के अलग से नियम बना लिये जायें। इसके लिये सदन ने कुलपति महोदया को एक कमेटी बनाने के लिए अधिकृत किया तथा यह भी अधिकृत किया कि जो भी नियम बने उसे सदन की स्वीकृति मान ली जाए तथा विद्या परिषद की अगली बैठक में सूचित कर दिया जाए।

2- परीक्षा नियंत्रक ने सदन के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि प्रत्येक विषय / पत्रों के लिए बुलाए गए अध्ययन मंडल के सदस्यों द्वारा यदि परीक्षकों का पैनल तैयार किया जाता है तो प्रत्येक विषय / पत्रों के विशेषज्ञों का पैनल विस्तृत रूप से तैयार हो सकता है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति सदन ने दी।

3- परीक्षा नियंत्रक ने सदन के समक्ष जिज्ञासा व्यक्त कि क्या परीक्षा मण्डल का गठन किया जाना अपेक्षित है। सदन ने वर्तमान में चलने वाली प्रणाली के बारे में पूछा तो बताया गया कि विभागाध्यक्षों द्वारा भेजे जाने वाले पैनल को परीक्षा विभाग द्वारा गोपनीय रूप से कुलपति महोदया को प्रस्तुत किया जाता है, कुलपति महोदया उसमें से चयन करती है और यदि चाहे तो गत पैनल में से भी कुछ नाम जोड़ सकती हैं। सदन के सदस्यों की राय थी कि प्रायः यही प्रणाली और जगह भी इसी प्रकार लागू है अतः परीक्षा बोर्ड की अपेक्षा नहीं है।

4. अन्य विषय :

1. माननीया कुलपति महोदया ने सदन के समक्ष निम्नांकित विद्वानों को **Emeritus Professor/Visiting Professor** के रूप में मनोनीत करने का प्रस्ताव रखा –

S.No.	Name of Person	Post	Department
1.	Prof. Sagar Mal Jain, Shajapur	Emeritus Professor	Jainology
2.	Prof. Krishnaswamy, Banglore	Emeritus Professor	English
3.	Prof. Rajendra Mishra, Shimla	Emeritus Professor	Sanskrit & Prakrit
4.	Prof. R. R. Singh, New Delhi	Emeritus Professor	Social Work
5.	Prof. Mathurshewar Pareek, Jaipur	Emeritus Professor	Education
6.	Dr Anupam Jain, Indore	Visiting Professor	Jainology

सदन ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

2. प्रो. आर.आर. सिह ने विश्वविद्यालय के विकास हेतु यह सुझाव दिया कि भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा के आधार पर जैन विश्वभारती संस्थान को अपनी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

   शोध कार्य के लिए Inter Disciplinary Research Center की स्थापना करने तथा इस सेन्टर के अन्तर्गत निम्न तीन प्रकार के शोध कार्य करने का सुझाव भी दिया:

   1. दर्शन एवं कार्य शोध (Philosophy and Action Research)
   2. विज्ञान एवं समाज (Science & Society)
   3. समाज विकास (In Social Development Action Oriented Research)

3. प्रो. राजेन्द्र मिश्रा का सुझाव था कि संस्थान के गैर पारम्परिक विषयों के विभागों को समृद्ध करने हेतु संस्थान में अच्छे विद्वानों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा गुणवत्तापूर्ण शोध कार्यो पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

4. प्रो. जे.पी.एन. मिश्रा एवं अन्य सदस्यों का सुझाव था कि बैठक से पूर्व विचारणीय बिन्दु एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र सभी सदस्यों को भिजवाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी सदस्य उनका अध्ययन कर बैठक में अपने विचार प्रकट कर सकें।

अंत में कुलसचिव महोदय द्वारा कुलपति महोदया एवं अन्य सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

Samani charitra pragya

(समणी चारित्र प्रज्ञा)
अध्यक्षा

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को अपरान्ह् 02.30 बजे माननीया कुलपति समणी चारित्रप्रज्ञा जी की अध्यक्षता में कुलपति कान्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः

01	समणी चारित्रप्रज्ञा, कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो. दामोदर शास्त्री	सदस्य
03	प्रो. आर.बी.एस. वर्मा	सदस्य
04	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
05	प्रो. रेखा तिवारी	सदस्या
06	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
07	डॉ. समणी मल्लीप्रज्ञा	सदस्या
08	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
09	डॉ. मनीष भटनागर	सदस्य
10	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	सदस्य
11	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	सदस्य
12	प्रो. ओ.पी.पाण्ड़ेय	सदस्य
13	प्रो. एस. सी. राजोरा	सदस्य
14	प्रो. शरद राजीमवाल	विशेष आमंत्रित
15	डॉ. योगेश कुमार जैन	विशेष आमंत्रित
16	डॉ. विवेक माहेश्वरी	विशेष आमंत्रित
17	प्रो. अनिल धर	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीया कुलपति महोदया द्वारा बैठक में आगन्तुक समस्त महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(01) **गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
(Approval of minutes of the 29th Meeting held on February 21, 2015)
सदन द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2015 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

(02) **निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालयों में अध्ययन मंड़ल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –**
(Discussion and approval recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments) –

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

(1) एम. ए. पाठ्यक्रम में त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठयक्रम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में :

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि क्योंकि त्रैमासिक प्रमाण–पत्र प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग के अध्ययन–मण्डल की पाठ्यक्रम स्वीकृति आवश्यक है। अतः इसे अध्ययन–मण्डल से पारित करवा के आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये एवं इससे सेमेस्टर सिस्टम को हटाया जाना अपेक्षित है।

(2) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में किये गये आंशिक परिवर्तनों की स्वीकृति :

डॉ योगेश जैन ने सदन को बताया कि अध्ययन–मण्डल की स्वीकृति पश्चात् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित आंशिक परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत :

- Sem. II/Paper III – Tibetan Religion has been added with Chinese and Japanese Religions
- Sem. II/Paper II- The Book Karma Prakriti is replaced with Tattvarthsutra, ch 8.
- The Book Karmagranth of Mishrimalji is replaced with Karmagranth translated by Pt. Sukhlal Sanghvi
- Sem. IV/Paper IX – The word "Inscription" has been added to the title of the paper "Manuscriptology". Now it is Manuscriptology and Inscriptions.
- The Brahmi Script also will be taught in this paper.

इसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(3) निम्नलिखित प्रपोजल स्वीकृति हेतु प्रस्तुत :

डॉ. एन. एल. कछारा को मानद् डी लिट की उपाधि

आचार्य नन्दीघोषसूरी को पीएच. डी. की मानद उपाधि

इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि क्योंकि ये प्रस्ताव विद्या परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतः इस प्रस्ताव को उचित एवं सक्षम मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये, तब तक इस पर किसी प्रकार का निर्णय न लिया जाये।

(4) एमिरिट्स प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा निम्नलिखित विद्वानों को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु पूर्व में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कुलपति महोदया ने स्वीकृति प्रदान की थी तथा इस विद्या परिषद् से इसकी अनुमोदना प्रस्तावित की जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी :

1. नारायण लाल कछारा
2. प्रो. नरेन्द्र भण्डारी
3. प्रो. कौशल प्रसाद मिश्रा
4. प्रो. सुरेन्द्र सिंह पोखरणा
5. प्रो. भागचन्द जैन भास्कर

(5) शोध परियोजना मे फैलोशिप प्रदान करने के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा संचालित भगवान महावीर अर्न्राष्ट्रीय शोध केन्द्र के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में शोधार्थियों को निम्नलिखित फैलोशिप प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया :

- सीनियर स्कोलर रिसर्च फैलोशिप
- जूनियर रिसर्च फैलोशिप
- पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि फैलोशिप के नामांकरण में परिवर्तन किया जाये जैसे जूनियर फैलोशिप / जूनियर रिसर्च एसोसियट्, सीनियर फैलोशिप / सीनियर रिसर्च एसोसियट् एवं डॉक्टर फैलोशिप रखा जा सकता है। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त फैलोशिप प्रदान करने के लिए विभाग विभिन्न वित्तीय संस्थाओं / अनुदानदाताओं के माध्यम से दी जाने की स्वीकृति प्राप्त कर इसे योजना एवं निगरानी

समिति तथा प्रबंध मण्डल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त उक्त फैलोशिप विशिष्ठ रूप से जैनविद्या आदि से संबंधित प्रतीत हो, उस हेतु इस के नाम पर पुनः विचार करें।

(ii) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग (Dept. of Prachya Vidya Evam Bhasha)

(1) संस्कृत–प्रमाणपत्र (छः माही पाठ्यक्रम) की स्वीकृति

(2) त्रैमासिक प्राकृत–प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की स्वीकृति

(3) एम.ए. (संस्कृत) में ऐच्छिक प्रश्नपत्रों में वर्ग 'द' के रूप में कालूव्याकरण की स्वीकृति

प्रो. दामोदर शास्त्री ने सदन को बताया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम अध्ययन–मण्डल से पारित है। अतः विद्या परिषद द्वारा इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) योग एवं जीवन–विज्ञान विभाग (Dept. of Yoga and Science of Living)

(1) दो प्रमाण–पत्रों पाठ्यक्रम (अ. प्रेक्षा–ध्यान तथा ब. योग) जयपुर केन्द्र पर प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतुः

इस संबंध में विद्या परिषद ने समयावधि में कमी करने सुझाव देते हुए पाठ्यक्रम को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) एमिरिट्स प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा निम्नलिखित विद्वानों को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव रखा गया :

1. डॉ. अरविन्द माथुर, प्रोफेसर एवं पूर्व–प्राचार्य, डॉ एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
2. प्रो. के.के. शर्मा, पूर्व–कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विभाग द्वारा उपरोक्त विद्वानों एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(3) विजिटिंग प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा डॉ. के. आर. हल्दिया, डीएमआरसी, जोधपुर को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने प्रस्ताव रखा गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(4) प्रेक्षा–ध्यान को दस दिवसीय क्रेश कोर्स प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु :

इस क्रेश कोर्स को विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

(1) एमिरिट्स प्रोफेसर के नियुक्ति के सम्बन्ध में :

विभाग द्वारा निम्नलिखित विद्वानों को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु पूर्व में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कुलपति महोदया ने स्वीकृति प्रदान की थी तथा इस विद्या परिषद् से इसकी अनुमोदना प्रस्तावित की जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी

1. डॉ. नरेश दाधीच, पूर्व कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2. प्रो. सतीश रॉय, विभागाध्यक्ष / निदेशक, गान्धी अध्ययन केन्द्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

विभागाध्यक्ष प्रो अनिल धर ने सदन को बताया कि विभाग में अहिंसा एवं शांति में एम. फिल. का पाठ्यक्रम संचालित है इसी तरह विभाग में छात्रों की मांग के अनुसार एम. फिल. राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति चाही। इस संबंध में विद्या परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस पाठ्यक्रम को अध्ययन–मण्डल द्वारा पारित करवाकर

कुलपति को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया। प्रो. अनिल धर के व्यक्तिगत सुझावानुसार अहिंसा एवं शांति एम.फिल. को अधिक सशक्त एवं प्रमोट किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा जयपुर में 'Creative Nonviolent leadership' का एक सप्ताह का कोर्स प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त की।

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभाग द्वारा प्रो. एस.आर. बिल्लोरे, भोपाल को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने हेतु पूर्व में प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कुलपति महोदया ने स्वीकृति प्रदान की थी तथा इस विद्या परिषद् से इसकी अनुमोदना प्रस्तावित की जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी :

(vi) शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन ने सदन को बताया कि आगामी सत्र से विभाग में बी.ए.–बी.एड. / बी.एससी.–बी.एड इन्टीग्रेटेड़ पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा। बी.ए.–बी.एड. का पाठ्यक्रम की रूपरेखा अध्ययन–मण्डल की बैठक में पारित करवा लिया गया है। एवं बी.एससी.–बी.एड. के पाठ्यक्रम के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम को अध्ययन–मण्डल से पारित करवाकर कुलपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये। सर्वसम्मिति से इस निर्णय को पारित किया गया।

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

विभाग द्वारा प्रो. शरद राजीमवाला, जोधपुर को एमिरिट्स प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति प्रदान करने प्रस्ताव रखा गया जिसे विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मिति से पारित किया गया।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विचारणीय बिन्दुओं पर पूर्व बैठक में ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। अतः इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया ।

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

(1) एम.ए./एम.एस.सी. योग एवं जीवन–विज्ञान

(2) एम.ए. जैन विद्या, तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन

प्रो. आनन्द प्रकाश त्रिपाठी ने सदन को बताया कि उपरोक्त दोनों प्रस्तावों में अध्ययन–मण्डल से पारित करवाकर आंशिक परिवर्तन किया गया है।

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा सर्व–सम्मिति से पारित किए गए।

अन्त में माननीया कुलपति महोदया ने अपने कार्यकाल की समाप्ति की सूचना सदन को देते हुए सभी सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया। विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने कुलपति महोदया के भावी जीवन के लिए अपनी शुभकामनाऐं प्रस्तुत की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो. अनिल धर)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं – 341 306 (राजस्थान)

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अर्न्तगत मान्य विश्वविद्यालय घोषित)

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 29–30 अप्रैल, 2017 को माननीय कुलपति महोदय प्रो. बच्छराज दूगड़ की अध्यक्षता में कुलपति कॉन्फ्रेंस हॉल में विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1.	प्रो. बच्छराज दूगड़, कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. नलिन कुमार शास्त्री	सदस्य
3.	प्रो. आर.एस. यादव	सदस्य
4.	प्रो. के.एन. व्यास	सदस्य
5.	प्रो. समणी ऋजु प्रज्ञा	सदस्य
6.	प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो. अनिल धर	सदस्य
8.	प्रो. बनवारीलाल जैन	सदस्य
9.	डॉ. बिजेन्द्र प्रधान	सदस्य
10.	डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा	सदस्य
11.	डॉ. समणी श्रेयस प्रज्ञा	सदस्य
12.	डॉ. अमिता जैन	सदस्य
13.	डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़	सदस्य
14.	डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत	सदस्य
15.	डॉ. युवराजसिंह खंगारोत	सदस्य
16.	डॉ. सत्यनारायण भारद्वाज	सदस्य
17.	डॉ. गोविन्द सारस्वत	सदस्य
18.	प्रो. दामोदर शास्त्री	विशेष आमंत्रित
19.	डॉ. जुगलकिशोर दाधीच	विशेष आमंत्रित
20.	डॉ. योगेश जैन	विशेष आमंत्रित
21.	डॉ. जितेन्द्र कुमार वर्मा	विशेष आमंत्रित
22.	श्री विनोद कुमार कक्कड़	कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा विद्या परिषद् के नवीन सदस्यों एवं बैठक में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। दो दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से नवीन परीक्षा–स्वरूप, प्रोफेसर एमेरिटस, शोध–परियोजना नियमावली, नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, पूर्व पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन, शुल्क–योजना में परिवर्तन, पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा–आयोजना में लचीलापन (flexibility) आदि विविध विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यक सुझावों के साथ स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

(01) अनुपस्थित सदस्यों के अवकाश की स्वीकृति
(Granting of Leave of Absence)

विद्या परिषद् के सदस्यों प्रो. मुनि महेन्द्र कुमार, प्रो. समणी चैतन्य प्रज्ञा, प्रो. समणी कुसुम प्रज्ञा एवं डॉ. समणी रोहिणी प्रज्ञा की बैठक में अनुपस्थिति की स्वीकृति प्रदान की गई।

(02) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।
(Approval of minutes of the 30th Meeting held on 27th April, 2016)

सदन द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

(03) निम्नलिखित विभागों /महाविद्यालय में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधित/नवीन पाठ्यक्रमों एवं उनसे सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन –
(Discussion and approval of recommended syllabus (amended/new) by Board of Studies of their respective departments)–

(A) परीक्षा प्रारूप एवं नियम

सर्वप्रथम सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार संबंधित प्राध्यापक द्वारा ही प्रश्न–पत्र तैयार कर इकाई–परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा एवं पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। पारदर्शिता एवं ईमानदारी के मूल्यांकन हेतु समय–समय पर बाह्य परीक्षकों के प्रश्न–पत्रों से भी परीक्षा–आयोजना करवाई जाएगी। यह परीक्षा प्रणाली आगामी सत्र 2017–18 से लागू होगी।

विद्या परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा इस नवीन परीक्षा–प्रणाली की प्रशंसा की गई एवं इसे अति नवीन एवं प्रभावी बताया गया, जिसमें भारतीय एवं विदेशी दोनों परीक्षा–प्रणालियों का समायोजन है। नवीन शिक्षण–पद्धतियों के अनुसार इसे और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा–प्रणाली में निम्न सुझावों के समावेश के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई–

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में दो बार Unit End Test आयोजित किया जाएगा। Unit End Test में एक साथ दो इकाइयों की परीक्षा आयोजित की जायेगी। इसके अंक–विभाजन का प्रारूप निम्न प्रकार होगा–

Unit End Test	CIA	Term Paper
60	20	20

- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्यार्थियों द्वारा Term Paper में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट Smart Board पर प्रस्तुत की जाए एवं इस हेतु Smart Board के उपयोग में विद्यार्थियों को दक्ष बनाने हेतु एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए।
- स्नातकोत्तर स्तर पर "Core-Foundation" के रूप में विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में Introduction to Jainism एवं द्वितीय सेमेस्टर में 7 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Nonviolence and Peace; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन करेगा। विद्यार्थी जिस विभाग का होगा उस विभाग के वैकल्पिक–पत्र का चयन नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार जैन विद्या के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को "Core-Foundation" के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Nonviolence and Peace" तथा द्वितीय सेमेस्टर में 6 वैकल्पिक पत्र–Value Education and Spirituality; Information Technology and Computer Application; The Use of English; Preksha Meditation and Self-Management; Introduction to Prakrit; Social Work: Themes and Practice उपलब्ध होंगे, जिनमें से विद्यार्थी किसी एक पत्र का चयन कर सकेगा।
- सभी विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लघु शोध–प्रबन्ध पत्र में लघु शोध–प्रबन्ध हेतु 60 अंक एवं मौखिकी परीक्षा हेतु 40 अंक निर्धारित किये गये। उत्तीर्णांक हेतु सामूहिक रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। मौखिक परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।
- उत्तीर्णांकों में किये गए नवीन परिवर्तनों के अनुरूप CGPA की ग्रेडिंग 36–49% से प्रारम्भ होगी।
- संस्थान द्वारा Provisonal Merit List ही जारी की जाएगी। पूनर्मुल्यांकन के बाद बढ़े अंकों का प्रभाव Merit List पर नहीं पड़ेगा।
- विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के न्यूनतम 50 प्रतिशत पत्रों में उत्तीर्ण होने पर ही अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। पत्रों की संख्या विषम होने की स्थिति में 50 प्रतिशत पत्रों की गणना पत्रों

की संख्या में 1 अतिरिक्त पत्र जोड़कर की जाएगी, जैसे–5 पत्रों की स्थिति में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 पत्र एवं 7 पत्रों की स्थिति में न्यूनतम 4 पत्र उत्तीर्ण करने पर ही आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा।

- विद्यार्थियों को अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) केवल अन्तिम परीक्षा–परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु प्रदान किया जा सकेगा। इसी प्रकार श्रेणी सुधार हेतु भी अधिकतम 2 अंकों का अनुग्रह (Grace) प्रदान किया जा सकेगा। अन्तिम परिणाम में उत्तीर्ण होने हेतु एवं श्रेणी सुधार हेतु संयुक्त अनुग्रह (Grace) अधिकतम 2 अंकों का ही प्रदान किया जाएगा।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को सभी पत्र उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा एवं उनकी परीक्षा आयोजना परीक्षा–काल के दौरान लागू नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा–योजना के अनुरूप ही होगी।
- किसी कारणवश किसी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले विद्यार्थियों को आगामी सेमेस्टर में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं होगी एवं वंचित रहे सेमेस्टर की परीक्षाएं आगामी वर्ष में उस सेमेस्टर की परीक्षा–आयोजना के साथ ही देनी होंगी।
- अगर विद्यार्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के किसी भी पत्र, जिसमें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों का समावेश है; की प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह विद्यार्थी केवल उसी पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा एवं ऐसी अवस्था में विद्यार्थी को उस पत्र की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

(B) विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम

(i) जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (Dept. of Jainology and Comparative Religion & Philosophy)

विभागाध्यक्ष प्रो. समणी ऋजुप्रज्ञा ने विद्या परिषद को यह जानकारी दी की एम.ए. के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार किया गया एवं पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये। पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक संशोधनों को शामिल किये जाने के सुझाव के साथ विद्या परिषद द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष द्वारा एम.ए. जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर–3 के प्रथम पत्र में 'न्यायावतार' नामक मूल ग्रंथ के स्थान पर 'प्रमाण–मीमांसा' को शामिल किये जाने का अध्ययन–मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव रखा, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने अध्ययन मण्डल की संस्तुति के आधार पर आगामी सत्र से विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित नवीन अल्पावधि पाठ्यक्रमों (MOOC – Massive Open Online Courses) को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव रखा–

- जैन ज्योतिष (Jain Astrology)
- जैन जीवनशैली एवं पर्यावरण (Jain Lifestyle and Environment)
- प्रबन्धन : जैन प्रणाली (Jain System of Management)
- पाण्डुलिपि विज्ञान (Manuscriptology)
- विवाह–पूर्व परामर्श (Pre-Marriage Counselling)

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग (Dept. of Prachya Vidya Evam Bhasha)

विभागाध्यक्ष डॉ. समणी संगीत प्रज्ञा ने सदन को यह जानकारी दी की एम.ए. संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा आंशिक परिवर्तन किया गया है। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमश कर स्वीकृति प्रदान की। सदस्यों द्वारा एम.ए. प्राकृत में लघु शोध–प्रबन्ध को अनिवार्य पत्र के रूप में लागू किये जाने एवं पाली–साहित्य को Elective Papers में शामिल किये जाने अथवा पूर्णतः हटा दिये जाने का सुझाव दिया गया। प्रो. के.एन. व्यास द्वारा शोध–प्रविधि पत्र के शीर्षकों में विषय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किये जाने का सुझाव दिया, जिसे सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययन–मण्डल द्वारा अनुमोदित संस्कृत एवं प्राकृत के त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में किये गये संशोधनों को प्रस्तुत किया गया। सदन ने इन पाठ्यक्रमों में व्याकरण आदि का अधिक समावेश न कर सामान्य व्यक्ति को संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में संभाषण हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया। इन त्रैमासिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता के लिए 10वीं उत्तीर्ण अथवा न्यूनतम 18 वर्ष उम्र का निर्धारण किया गया।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iii) योग एवं जीवन विज्ञान विभाग (Dept. of Yoga and Science of Living)

विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रद्युम्नसिंह शेखावत ने एम.ए./एम.एस.सी. योग एवं जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा स्वीकृत आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु भी कई सुझाव प्रदान किये–

- यदि किसी सेमेस्टर में कोई आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है तो यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि उस आनुप्रायोगिक पाठ्यक्रम से संबंधित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम भी उसी सेमेस्टर में अथवा उससे पूर्व के किसी सेमेस्टर में शामिल किया गया हो।
- Dietetics एवं Nutrition पत्र को वैकल्पिक पत्रों की सूची में शामिल किया जाए अथवा 'प्रेक्षाध्यान एवं स्वास्थ्य–प्रबन्धन' पत्र में समायोजित किया जाए।
- 'Introduction of Ayurveda' पत्र के स्थान पर किसी अन्य उपयोगी पत्र को प्रतिस्थापित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा योग एवं जीवन–विज्ञान विभाग के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- जीवन विज्ञान विभाग के प्रायोगिक पत्र में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) अहिंसा एवं शांति विभाग (Dept. of Non-Violence & Peace)

प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉ. रविन्द्रसिंह राठौड़ ने एम.ए. अहिंसा एवं शांति तथा एम.ए. राजनीति विज्ञान के अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। विद्या

परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कई सुझाव प्रदान किये–

- सदन ने माननीय कुलपति महोदय से प्राप्त सुझावानुसार एम.ए. अहिंसा एवं शांति; तथा राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित 'Project & Practical' पत्र को हटाकर इसके स्थान पर प्रथम सेमेस्टर में 'Basic Principals of Gandhian Thought' एवं द्वितीय सेमेस्टर में 'Political Sociology' पत्रों को शामिल किये जाने की अनुशंसा की, वहीं एम.ए. राजनीति विज्ञान के तृतीय पत्र में 'Project & Practical' पत्र के स्थान पर 'Federalism and Union State Relations in India' पत्र को लागू किये जाने की अनुशंसा की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की, जिसे सदन ने सर्वस्वीकृति प्रदान की।
- पाठ्यक्रम में प्रो. आर.एस. यादव के सुझावानुसार अहिंसा एवं शांति; तथा राजनीति विज्ञान में वर्तमान में सम्मिलित एवं प्रचलित नवीन सिद्धान्तों, विचारों, नवीन सन्दर्भ पुस्तकों को शामिल किये जाने एवं शीर्षकों में आवश्यक सामान्य बदलावों के समावेश के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु विद्या परिषद् ने स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा अहिंसा एवं शांति विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आवश्यक संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- अहिंसा एवं शांति विभाग में प्रायोगिक पत्र "Training in Nonviolence" में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे एवं इस पत्र में अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी उस सम्पूर्ण पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा अर्थात् उसे उस पत्र की सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाएं पुनः देनी होंगी।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(v) समाज कार्य विभाग (Dept. of Social Work)

विभागाध्यक्ष डॉ. बिजेन्द्र प्रधान ने एम.ए. समाजकार्य के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित आवश्यक संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष रखी, जिसमें मुख्य रूप से सेमेस्टर–3 के चतुर्थ पत्र के शीर्षक ''Employee Welfare and Social Security'' को ''Labour Welfare and Social Security'' के रूप में परिवर्तित करने एवं अधिकांश विश्वविद्यालयों में वर्तमान में लागू परम्परा के अनुसार विद्यार्थियों को चतुर्थ सेमेस्टर के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर के पश्चात् Block Placement हेतु भेजे जाने के सुझाव थे। इसके अतिरिक्त अध्ययन मण्डल द्वारा कुछ पत्रों में भी संक्षिप्त संशोधन सुझाये गए। विद्या परिषद् ने पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा समाजकार्य के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित विशेष संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- Field Work Practicum (Internal+External) में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक रूप से अर्जित करने होंगे एवं Field Work Practicum में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- Field Work हेतु अधिकतम 200 अंकों का निर्धारण किया गया, जिसमें से बाह्य परीक्षक के पास 160 अंक (120 अंक Viva-voce + 40 अंक Compiled Report) एवं संबंधित Supervisor के पास 40 अंक का मूल्यांकन होगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(vi) शिक्षा विभाग (Department of Education)

विभागाध्यक्ष प्रो. बनवारीलाल जैन द्वारा शिक्षा विभाग के बी.एड., एम.एड., बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर उन्हें एवं निम्न कतिपय नवीन निर्णयों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई–

- शिक्षा विभाग के सभी पाठ्यक्रमों हेतु NCTE द्वारा निर्धारित Framework की पूर्ण रूप से अनुपालना की जाए।
- एम.एड. की परीक्षा–आयोजना आगामी सत्र (2017-18) से नवीन परीक्षा–प्रणाली के आधार पर आयोजित की जाए, जो आगामी सत्र के प्रवेशार्थियों पर ही लागू होगी।
- एम.एड. के EPC (Enhancement Professonal Capacity) पत्रों को पाठ्यक्रम से हटाया जाए एवं उनके स्थान पर Core Foundation पत्र के रूप में स्नातकोत्तर हेतु निर्धारित पत्रों को ही रखा जाए।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Core Foundation पत्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं तृतीय सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" तथा "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य पत्र (50–50 अंक) रखे जाएंगे।
- बी.एससी.–बी.एड. के विद्यार्थी जिन्होंने वर्तमान सत्र (2016–17) में प्रथम सेमेस्टर में "Yoga and Preksha Meditation" एवं "Value Education" पत्र की परीक्षाएँ दी हैं, उनके लिए तृतीय सेमेस्टर में "Introduction to Jainism" एवं "Critical Understanding of ICT" दो अनिवार्य–पत्र (50–50 अंक) के रूप में परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के पत्र ''Preksha Meditation and Yoga Education'' को हटाया गया, क्योंकि इसे तृतीय सेमेस्टर में Core-Foundation में ''Yoga and Preksha Meditation'' अनिवार्य पत्र के रूप में जोड़े जाने की अनुशंसा की गई है।
- बी.ए.–बी.एड., बी.एससी.–बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में Internship का समय अधिक होने के कारण प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को 22 क्रेडिट के स्थान पर 20 क्रेडिट में परिवर्तित किया जाए।

विभागाध्यक्ष द्वारा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक संशोधनों तथा शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की–

- शिक्षा संकाय के सभी पत्रों में Internship में उत्तीर्ण होने हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने अनिवार्य होंगे एवं Internship में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को उस पूरे पत्र में अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की।

(vii) अंग्रेजी विभाग (Department of English)

विभागाध्यक्ष डॉ. गोविन्द सारस्वत ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी प्रदान की, जो निम्नानुसार थी–

- प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Literature for Human Values" को पाठ्यक्रम से हटाया गया एवं तृतीय पत्र "Selections from Chaucer to Blake" को द्वितीय पत्र में "Poetry: Chaucer to Milton" शीर्षक से एवं चतुर्थ पत्र "Wordsworth to Eliot" को द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "Communication and References Skills" को हटाकर उसके स्थान पर "British Poetry: Romantic Victorian and Modern" शीर्षक से जोड़ा गया। तृतीय पत्र में "Indian English Poetry" एवं चतुर्थ पत्र में "Literary Criticism: Ancient" नामक नवीन पत्र जोड़े गए।
- द्वितीय सेमेस्टर में तृतीय पत्र में "Literature for Indian Values" पत्र के साथ नवीन पत्र "Drama" वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं चतुर्थ पत्र "New Literature in English" की पाठ्यसामग्री को तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संबंधित साहित्य के पत्रों के साथ समायोजित की गई एवं इसके स्थान पर "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के प्रथम पत्र "Career Communication Skills" को हटाकर इसके स्थान पर "American Literature" नामक नवीन पत्र एवं द्वितीय पत्र की इकाई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" को हटाकर इसके स्थान पर "Age of Blindness / Andha Yuga – Dharamveer Bharti" को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Translation – Theory and Practice" को पंचम पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र के रूप में जोड़ा गया एवं तृतीय पत्र के रूप में "Literary Criticism" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Classics in Translation" की प्रथम इकाई "Bharta: Natya Shastra (Chapter-1)" को द्वितीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में समायोजित किया गया एवं द्वितीय इकाई "Shudrak: Mrichhkatikam" को द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में समायोजित किया गया।
- तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र के दोनों वैकल्पिक पत्रों के स्थान पर निम्न दो नवीन पत्रों को सम्मिलित किया गया–
    - "World Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction"
    - "Indian Classics in Translation" पत्र के स्थान पर "Fiction : Indian"
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र के प्रथम वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English Novels & Short Stories" को शीर्षक परिवर्तित कर तृतीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Fiction : Indian" के रूप में जोड़ा गया।
- तृतीय सेमेस्टर के पंचम पत्र में द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Indian Writing in English: Poetry" के स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पत्र "English Language Teaching" को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम पत्र "English in India" को हटाकर इसके स्थान पर चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र की पाठ्यसामग्री को रूपान्तरित कर "Contemporary Critical Theory" नामक नवीन शीर्षक के रूप में जोड़ा गया एवं द्वितीय पत्र के रूप में "African Writing in English" नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र "Literary Theories" के स्थान पर "Contemporary Poetry" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया।
- चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" के स्थान पर "Post Colonial Literature" एवं द्वितीय वैकल्पिक पत्र "Folk Literature of India" के स्थान पर "Literature of the Protest" नामक नवीन पत्र को जोड़ा गया, जिसमें प्रथम वैकल्पिक पत्र "Literature of Protest in India" की दो इकाइयों "Om Prakash Valmiki: Joothan" एवं "Faustina Soosairaj Bama: Sangati" को भी समायोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष ने पाठ्यक्रम में किये गये संक्षिप्त बदलावों की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों ने अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर पाठ्यक्रम में अन्य आवश्यक संशोधनों हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गए–

- तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय पत्र में से हटाई गई "Jawaharlal Nehru – The Discovery of India" इकाई को चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र "Post Colonial Literature" में समायोजित किया जाए।
- चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय पत्र में 'Snow Man' कविता को हटाया जा सकता है एवं कमलादास की किसी एक कविता को शामिल किया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में दी गई सन्दर्भ पुस्तकों की सूची प्रत्येक संबंधित पत्र के अंत में दी जाए।

विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों हेतु सदन द्वारा प्रदत्त नवीन सुझावों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

विभागाध्यक्ष ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन मण्डल से अनुमोदित नवीन परीक्षा–स्वरूप को विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों ने सदन द्वारा सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सुझाये गए आवश्यक एवं समान संशोधनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की।

विभागाध्यक्ष द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(viii) आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय (Acharya Kalu Kanya Mahavidyalaya)

महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्या डॉ. अमिता जैन द्वारा सत्र 2017–18 में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने एवं इस हेतु बी.एससी.–बी.एड. में संचालित बी.एससी. के पाठ्यक्रम को ही लागू किया जाने तथा कला एवं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रमों में अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों तथा कला संकाय में नवीन विषय 'राजस्थानी साहित्य' को जोड़े जाने की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा अध्ययन मण्डल द्वारा अनुमोदित संशोधनों पर विचार–विमर्श कर कुछ नवीन संशोधन भी सुझाए। विद्या परिषद् द्वारा निम्न निर्णयों के साथ सभी आवश्यक संशोधनों एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई–

- कला संकाय के किसी भी वैकल्पिक–पत्र का न्यूनतम 15 विद्यार्थियों द्वारा चयन किये जाने पर ही सत्र में उस वैकल्पिक–पत्र का अध्यापन करवाया जाएगा। संस्थान के केवल Core विषयों–जैन विद्या; संस्कृत; प्राकृत; अहिंसा एवं शांति; तथा योग एवं जीवन–विज्ञान हेतु यह नियम लागू नहीं होगा। यही व्यवस्था विज्ञान संकाय पर भी लागू होगी।
- कला संकाय के सेमेस्टर–6 में 'हिन्दी साहित्य' विषय के पत्र का शीर्षक 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' को अध्ययन मण्डल द्वारा 'हिन्दी भाषा एवं काव्यांग विवेचन' शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा परिवर्तित न करते हुए पूर्ववत 'प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं अनुवाद' रखे जाने का निर्णय लिया।
- वाणिज्य संकाय के सेमेस्टर–5 के द्वितीय पत्र का शीर्षक "Industrial Law" को अध्ययन मण्डल द्वारा "Economical Law" शीर्षक के रूप में परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया, जिसे विद्या परिषद् ने परिवर्तित करते हुए "Industrial and Economical Law" किये जाने का निर्णय लिया।
- विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय के 3 पत्रों हेतु पृथक्–पृथक् सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं प्रत्येक पत्र के लिए 20 अंकों (कुल 60 अंक) का निर्धारण किया जाए।
- विज्ञान संकाय के विषयों हेतु अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा–

Theory	CIA	Practical
60	15	25

प्राचार्या द्वारा विद्या परिषद् के सदस्यों के समक्ष आगामी सत्र (2017–18) हेतु विभागीय Academic Calendar प्रस्तुत किया, जिसे विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(ix) दूरस्थ शिक्षा (Distance Education)

- दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने अध्ययन मण्डल द्वारा पारित संशोधनों की जानकारी सदन को दी। प्रो. नलिन शास्त्री द्वारा सत्रीय–कार्य हेतु प्रस्तावित नई प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पाठ्यक्रम के प्रत्येक पत्र में से 15 निबन्धात्मक प्रश्नों का चयन कर विद्यार्थियों को उसी चयनित समूह में से अपनी रुचि के स्नातक स्तर पर 3 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 4 प्रश्न हल करने हेतु संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का सुझाव दिया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।
- बी.पी.पी. के नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में दो पत्रों के स्थान पर पांच पत्रों के समावेश को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्व पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजना के नियमानुसार यदि विद्यार्थी अपने दोनों पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता था तो उसे आगामी वर्ष में सभी प्रश्न–पत्रों की पुनः परीक्षा देनी होती थी, जबकि वर्तमान संशोधित पाठ्यक्रम में पांच पत्र हैं अतः विद्यार्थी के उत्तीर्ण पत्रों को आगामी वर्ष में भी उत्तीर्ण मानते हुए सिर्फ अनुत्तीर्ण पत्रों हेतु ही पुनः परीक्षा दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
- निदेशक प्रो. आनन्दप्रकाश त्रिपाठी ने विद्यार्थी द्वारा परीक्षा–परिणाम की घोषणा तक सत्रीय कार्य जमा नहीं करवा पाने की स्थिति में विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु कुछ दिवस का अन्तिम अवसर दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया, एतदर्थ विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रोककर विद्यार्थी को सत्रीय कार्य जमा करवाने हेतु अन्तिम अवसर के रूप में परीक्षा परिणाम की घोषणा से अधिकतम 45 दिन का समय दिये जाने की सदन द्वारा स्वीकृति दी गई। सदन द्वारा रोके जाने वाले परीक्षा परिणामों को "RW" (Result Withheld – Due to Assignment) के रूप में दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र हेतु 36 प्रतिशत एवं सभी पत्रों हेतु सामूहिक रूप से 40 प्रतिशत होंगे।

(x) शोध (Research)

सहायक शोध–निदेशक डॉ. जितेन्द्र वर्मा द्वारा सदन को जानकारी प्रदान की गई कि संस्थान द्वारा अपनी शोध–नियमावली में नवीन UGC Research Regulation 2016 एवं यूजीसी के शोध संबंधी सभी आवश्यक नियमों को भी शामिल किया गया है एवं इनकी पूर्ण अनुपालना की जा रही है। नये शोध नियमों के अनुसार RAC (Research Advisory Committee) का गठन किया गया है एवं Research Regulation 2009 के अनुसार आयोजित किये जाने वाले Course Work की परीक्षा–आयोजना में संबंधित विभाग के विषय का एक प्रश्न–पत्र भी शामिल किया गया है।

- RET परीक्षा में पूर्व में उत्तीर्णांक 55 प्रतिशत अंक थे, जिसे संशोधित कर वर्तमान में उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत अंक को स्वीकृति प्रदान की गई।
- अहिंसा एवं शांति विभाग में पी–एच्.डी. शोधार्थियों हेतु अहिंसा एवं शांति विषय की वार्षिक फीस 10,000/– एवं राजनीति विज्ञान विषय की वार्षिक फीस 15,000/– तथा योग एवं जीवन विज्ञान विभाग में पी–एच्.डी. शोधार्थियों हेतु नवीन वार्षिक फीस 15,000/– किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
- शोध हेतु विभागवार पूर्व प्रस्तावित विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित नवीन विषयों को Allied विषय के रूप में शामिल किये जाने का प्रस्ताव रखा गया–
  - जैनविद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन विभाग–हिन्दी एवं राजस्थानी
  - प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग–अपभ्रंश तथा हिन्दी विषय से पीएच्.डी. हेतु–हिन्दी, राजस्थानी
  - अहिंसा एवं शांति विभाग–मूल्य शिक्षा, शांति शिक्षा, हिन्दी, इतिहास तथा लोक प्रशासन
  - जीवन विज्ञान विभाग–शिक्षा, संस्कृत, समाजशास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा
  - समाज कार्य विभाग–मानवाधिकार, लैंगिक अध्ययन, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास तथा मानव संसाधन प्रबंधन।
- शोध–निर्देशक के रूप में डॉ. समणी हिमप्रज्ञा एवं डॉ. गोविन्द सारस्वत की स्वीकृति प्रदान की गई।

सदन ने प्रस्तावित एम.फिल./पीएच.डी. अध्यादेश–2016 के बिन्दु–21 (Unfair Means and Plagiarism) हेतु माननीय कुलपति महोदय को स्थाई समिति (Standing Committee) के निर्माण

हेतु अधिकृत किया गया। सदन द्वारा नवीन शोध–नियमानुसार विश्वविद्यालय में सभी पूर्णकालिक शोधार्थियों से Stamp Paper पर किसी अन्य स्थान पर कार्य न करने की Undertaking लेने का सुझाव दिया गया। विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नवीन शोध अध्यादेश–2016 को उपरोक्त सभी परिवर्तनों के समावेश के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

(04) संस्थान के MOA में निर्दिष्ट विद्या परिषद् के संगठन में बिन्दु संख्या–9 की अनुपालना में (तीन सदस्य जो संस्थान के शैक्षणिक सदस्य नहीं होंगे एवं विद्या–परिषद् द्वारा उनके विशेष ज्ञान के आधार पर नियुक्त किये जाएँगे) पूर्व में नियुक्त तीनों विद्वानों का द्विवर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर विद्या परिषद् द्वारा उनके स्थान पर निम्न तीन विद्वानों को आगामी दो वर्ष हेतु विद्या–परिषद् सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई–

1. प्रो. के.एस. भारती, नागपुर, महाराष्ट्र
2. प्रो. भागचन्द जैन 'भास्कर', नागपुर, महाराष्ट्र
3. प्रो. ए.के. मलिक, जोधपुर

(05) अहिंसा एवं शांति विभाग में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापकों हेतु निम्न प्रकार पदों की स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- आचार्य (Professor)–01
- सह–आचार्य (Associate Professor)–01
- सहायक–आचार्य (Assistant Professor)–02

(06) प्राच्य विद्या एवं भाषा विभाग में संस्कृत प्राध्यापक (सहायक–आचार्य) पद की स्वीकृति प्रदान की गई।

(07) संस्थान में शिक्षा विभाग में वर्तमान में संचालित बी.एससी.–बी.एड. पाठ्यक्रम एवं आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय में नवीन सत्र से विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया जा रहा है, अतः इस हेतु निम्न पदों की नवीन स्वीकृतियां प्रदान की गईं–

- गणित–01
- भौतिक विज्ञान–01
- रसायन विज्ञान–01
- जीव–विज्ञान–01
- वनस्पति–शास्त्र–01

(08) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव–विज्ञान एवं वनस्पति–शास्त्र की प्रयोगशालाओं में तकनीकी सहायक के पदों हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गई।

(09) विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रश्न–पत्र निर्माण, उत्तर–पुस्तिका जांच एवं परीक्षा–परिणाम तैयार किये जाने की प्रक्रिया हेतु विभिन्न विशेषज्ञों के नामों के निर्धारण हेतु निर्णायक के रूप में अधिकृत किया गया।

(10) सदन के समक्ष माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में बनाई गईं निम्न नवीन नियमावलियाँ/मार्गदर्शिकाएँ प्रस्तुत की गईं–Guidelines for Emeritus Professorship, Guidelines for Research Projects एवं Guidelines for Honoris Causa। विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के इस कार्य की सराहना की गई एवं इन्हें लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(11) विभिन्न विभागों में प्रवेश हेतु निर्धारित की गई Intakes की संख्या में निम्न प्रकार संशोधन किया गया–

- सभी स्नातकोत्तर विषय (समाजकार्य, योग एवं जीवन विज्ञान और राजनीतिशास्त्र को छोड़कर) – 15
- M.A./M.Sc. in Yoga and SOL – 35
- M.A. in Political Science – 25
- MSW – 50
- MA in English – 15
- B.Com. – 60
- B.Sc. – 40
- सभी विभागों में संचालित सभी Diploma एवं PG Diploma – 15
- Certificate Course in Journalism & Mass Media – 30
- Certificate Course in Office Automation and Internet – 30

जिस हेतु विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(12) कुलसचिव महोदय द्वारा परीक्षा–आयोजना की विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु दिये जाने वाले विभिन्न पारिश्रमिक को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस हेतु विद्या–परिषद् के सदस्यों द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों में दिये जाने वाले पारिश्रमिक के अनुरूप संशोधित किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

(13) सदन के समक्ष उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के निर्धारण हेतु उपयोग किये जाने वाले सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा के अंकों के साथ सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) के अंकों को जोड़कर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विद्या–परिषद ने स्वीकृत प्रदान की।

(14) सदन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस में की गई वृद्धियों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(15). सदन द्वारा प्रतिमाह विभिन्न विभागों में प्रसिद्ध विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर अतिथि–व्याख्यान आयोजित करवाने का सुझाव दिया गया।

(16) प्रोफेसर दामोदर शास्त्री द्वारा संस्थान के प्रकाशनों की गुणवत्ता में और अधिक सुधार एवं प्रकाशन से पूर्व प्रकाशन सामग्री में भाषा की अशुद्धियों एवं सामग्री में तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच हेतु विशेषज्ञों से पुनरावलोकन करवाने का सुझाव दिया गया।

(17) विद्या–परिषद के सदस्यों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों, जिनकी पाठ्यसामग्री अभी तक संस्थान द्वारा तैयार नहीं की गई है, यथाशीघ्र पाठ्यसामग्री के निर्माण करवाने एवं पूर्व निर्मित सामग्री का विषय–विशेषज्ञों से पुनरावलोकन करवाकर आवश्यक संशोधन करवाने का सुझाव दिया गया।

(18) कुलसचिव महोदय ने विद्यार्थियों को समय–समय पर दी जाने वाली Fellowship और Medals के संबंध में सदन के दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया गया। विद्या–परिषद् के सदस्यों का मत था कि इस संबंध में नियमों का प्रारूप तैयार किया जाए और अनुमोदन के लिए विद्या–परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(19). कुलसचिव महोदय ने संस्थान के शैक्षणिक मानकों में निर्देश, मूल्यांकन और सुधार की विधि के सन्दर्भ में सदन के विचार–विमर्श एवं दिशा–निर्देशन हेतु अनुरोध किया। सदन ने संस्थान द्वारा समय–समय पर शैक्षणिक मानकों के मूल्यांकन एवं सुधार हेतु किये जाने वाले प्रयासों को संतोषप्रद बताया एवं इस हेतु किये जाने वाले प्रयासों को सतत जारी रखने के निर्देश दिये।

(20) सदन द्वारा नवीन नियमित पाठ्यक्रमों हेतु भी शीघ्रातिशीघ्र पाठ्यसामग्री का निर्माण करवाने की सलाह दी गई।

अंत में माननीय कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(विनोद कुमार कक्कड़)
कुलसचिव एवं गैर सदस्य सचिव